16.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:32 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वादी के वकील ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया, कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की खातेदारी एव कब्जा काश्त की आराजी मोजा कौशलू पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 10.10 बीधा का आया हुआ है। जिस पर वादी एव प्रतिवादी

16.11.2022
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

40/2017

सख्या 2 से 5 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका वादी एव प्रतिवादी रेकडंर्ड खातेदार है। वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 की उपरोक्त आराजी पर अपने रहवास हेतु ढाणीयो का निर्माण किया गया है वादग्रस्त आराजी के सेढा पर कदीमी पुर्वजो के समय की माठे व बड़े बड़े दरखतो का सेढा आया हुआ हैं जिसमें वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 निर्बाध रूप से उपयोग एव उपभोग करते आ रहें है। वादग्रस्त आराजी का नक्शा व जमाबन्दी प्रसग हेतु सलग्न पेश है। वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 के आराजी के सेढा सेढ ही ग्राम पंचायत की भूमि के मध्य कदीमी माठ व सेढा बना हुआ परन्तु वर्तमान मे प्रतिवादी सख्या 1 सरपच द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि की पैमाइश करवाये बिना ही वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 की आराजी के कब्जे काश्त की आंराजी खसरा नम्बर 75 मे पीलर खडें कर वादी की भूमि को आबादी मे सम्मलित कर दिया है जिस पर वादी द्वारा मना करने पर भी प्रतिवादी सख्या 1 नही माना तथा राजनेतिक द्वेषभावना से ग्रसित होकर वादी की खातेदारी भूमि मे आबादी भूमि की सीमा से आगे से बढते हुए वादी की आराजी मे पीलर रोप दिये है तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि को आबादी की भूमि बताते हुए प्लोटिंग कर कर पटटे देने पर आमदा है। जिस पर वादी ने मौजिज लोगो को इक्टठा कर प्रतिवादी सख्या 1 से समझाईश की तथा वादी की भूमि मे खडे किये गये पीलर हटाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सख्या 1 ने पीलर हटाने से स्पष्ट मना कर दिया तथा प्रतिवादी सख्या 1 ने कहा कि हमने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तथा अब आपको इस ढाणी व जमीन से बेंदखल कर आपकी कृर्षी भूमि को आबादी भूमि मे मिलाकर पटटे जारी कर देगे जबकि वादी की भूमि मे प्रतिवादी सख्या 1 को कोई अधिकार व हक नही है । ऐसी स्थिति मे वादी को यह अधिकार है कि वादी के खातेदारी [illegible] खसरा 75 रकबा 10.10 बीधा मे प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा [illegible] रू[illegible] से खडे किये गये पीलरो को हटाते हुऐ प्रतिवादी सख्या [illegible] बेदखल कर वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी प्राप्त कर[illegible] के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ताकतवर सरपंच तथा अपने पद व ताकत के बल पर वादी की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करके वादी को अपनी भूमि से बेदखल कर वादी की कृर्षी भूमि को आबादी मे सम्मलित करते हुऐ पटटा वितरण करने पर आमदा है, वादी को उनकी कृर्षी भूमि से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:32 IST
Reason: SelfAttested

16/11/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

स्थिति मे वादी प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दावा पेश है। प्रतिवादी सख्या 6 तहसीलदार भूमि पति होने से उन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 से मंत्रणा नही होने से तथा सह खातेदार होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया है उनसे किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही है। ऐसी स्थिति में वादी की खातेदारी एव कब्जा काश्त की भूमि मौजा कौशलू पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 10.10 बीघा की भूमि मे प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा स्थापित किये गये पीलरो को हटाया जाकर उसका कब्जा वादी को दिलाया जावें एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सख्या 1 वादी के खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार की दखलांदाजी व हस्तक्षेप नही करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें।

हमने वादी वकील की बहस पर मनन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण में वादी की इस्तदुआ यह है कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 से 5 की खातेदारी एव कब्जा काश्त की आराजी मोजा कौशलू पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 10.10 बीघा का आया हुआ है। जिस पर वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका वादी एव प्रतिवादी रेकडंर्ड खातेदार है। वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 की उपरोक्त आराजी पर अपने रहवास हेतु ढाणीयो का निर्माण किया गया है वादग्रस्त आराजी के सेढा पर कदीमी पुर्वजो के समय की माठे व बड़े बड़े दरखतो का सेढा आया हुआ हैं जिसमें वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 निर्बाध रूप से उपयोग एव उपभोग करते आ रहें है। वादग्रस्त आराजी का नक्शा व जमाबन्दी प्रसग हेतु सलग्न पेश [illegible] एवं प्रतिवादी सख्या 2 से 5 के आराजी [illegible] के मध्य कदीमी माठ व सेढा बना हुआ [illegible] प्रतिवादी सख्या 1 सरपच द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि की पैमा[illegible] करवाये बिना ही वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 से 5 की आराजी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 75 मे पीलर खडें कर वादी की भूमि को आबादी मे सम्मलित कर दिया है जिस पर वादी द्वारा मना करने पर भी प्रतिवादी सख्या 1 नही माना तथा राजनेतिक द्वेषभावना से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Rani
Date: 2022.12.31 17:22:32 IST
Reason: SelfAttested

16/11/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

40/2017

ग्रसित होकर वादी की खातेदारी भूमि मे आबादी भूमि की सीमा से आगे से बढते हुए वादी की आराजी मे पीलर रोप दिये है तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि को आबादी की भूमि बताते हुए प्लोटिंग कर कर पटटे देने को लेकर है। इस संबंध में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि यह स्पष्ट होता हो कि वादीगण के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई कब्जा अथवा हस्तक्षेप सिद्व होता हो, जंहा तक वादी की कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने की इस्तदुआ है ऐसी स्थिति में अदालत यह न्यायोचित मानती है कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप नहीं कर मौके की यथास्थिति बनाये रखे, जिसके लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वादी वकील ने अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों पर वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत गवाहान के रूप में स्वतंत्र गवाहान के सिवाय एक मात्र वादी स्वयं को प्रस्तुत किया तथा दौराने परीक्षण इन तथ्यों की कंही भी पुष्टि नहीं होती है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 5 के खातेदारी के खेत में जबरन कब्जा किया हो, यदि ऐसा होता तो वादी के साथ प्रतिवादीगण जो कि इस आराजी के सहखातेदार है जो कि उपस्थित होकर अपने जवाब अथवा साक्ष्य गवाहान में अभिकथन अथवा पुष्टि किये जाने का उल्लेख करते, इसके अतिरिक्त वादी स्वयं भी अपनी साक्ष्य में यह साबित करने में विफल रहा कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उसके खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा किया हो, यदि विवादित भूमि की पैमाईश अथवा सीमांकन की स्थिति का आंकलन किया गया होता अथवा प्रमाणित पाया जाता तो अवश्य ही अन्य सहखातेदार इन तथ्यों की पुष्टि करते।

लिहाजा प्रतिवादीगण को [illegible] वादी के हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द [illegible] के साथ ही अन्य मूल इस्तदुआ अन्तर्गत धारा 183 रा.का.अ[illegible] को प्रमाणित अथवा साबित करने में विफल रहने पर उक्त वाद खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

16/11/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी